अनुलग्नक

न्यायालय की बैठक के लिए विनियम

(सि.वि अधिनयम की धारा 21 और संविधि 10 के अंतर्गत)

1. न्यायालय की बैठक वर्ष में कम से कम एक वार होगी।

2. बैठकों की तिथि कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी, जब तक कि किसी वर्ष के संबंध में न्यायालय द्वारा कुछ अन्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

3. कुलपति, यदि उपस्थित हैं, तो न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कुलसचिव न्यायालय के सदस्य सचिव होंगे। कुलपति की अनुपस्थिति में सम कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

4. कुलसचिव बैठक की निर्धारित तिथि से 21 दिन पहले बैठक की तिथि, स्थान और समय का उल्लेख करते हुए बैठक की सूचना जारी करेंगे।

5. बैठक में चर्चा की जानेवाली एजेंडाओं को बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले प्रसारित किया जाएगा। ईमेल के माध्यम से एजेंडाओं को भेजना प्रसारित किया जाना समझा जाएगा।

   परंतु, अध्यक्ष अथवा कुलपति अथवा कुलसचिव अथवा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य सदस्यों के लिए ऐसे विषयों, जो अत्यधिक आवश्यक हैं और बैठक में विचार-विमर्श करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, को बैठक में प्रस्तुत करने के लिए खुला होगा।

   अध्यक्ष उनके विवेकानुसार पहले वितरित किए गए किसी विषय को बैठक में विचार-विमर्श करने से रोक सकते हैं।

6. कार्यकारिणी परिषद अथवा कुलपति अथवा अगर कुलपति नहीं हैं तो सम कुलपति अथवा अगर सम कुलपति नहीं हैं तो कुलसचिव द्वारा न्यायालय की विशेष बैठक बुलाया जा सकता है।

   न्यायालय के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा कुलाधिपति/कुलपति को लिखित रूप में भेजे जानेवाले मांग पर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। कुलाधिपति/कुलपति ऐसी मांग प्राप्त होने से तीन महीने के अंदर बैठक आयोजित करेंगे। ऐसी बैठक में प्रस्तावित विषयों को निर्धारित किया जाएगा और मांग के साथ भेजा जाएगा।

7. न्यायालय के ग्यारह (11) सदस्यों की उपस्थिति से न्यायालय की बैठक का कोरम बनेगा। जहां न्यायालय की बैठक को विधिवत आयोजित किया गया है और बैठक के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित की जाएगी अथवा किसी अन्य दिन, किसी अन्य समय और स्थान में आयोजित की जाएगी, जैसा कि उयस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाएँ। स्थगित बैठक की सूचना न्यायालय के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। यदि नियत समय के आधे घंटे के भीतर स्थगित बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं होता है, तो मौजूद सदस्य कोरम का गठन करेंगे।

8. अगर एजेंडा के विषयों पर विचार-विमर्श बैठक के दिन अनिश्चित रहता है, तो अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार बैठक अगले दिन अथवा किसी अन्य दिन तक जारी रहेगी। निरंतर चलनेवाली बैठक के लिए किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और अध्यक्ष के अनुमति के बिना पहले वितरित किए गए किसी एजेंडा पर विचार-विमर्श करना प्रतिबंधित होगा।

9. न्यायालय की बैठक में कार्यसंचालन अध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जाएगा।

10. प्रत्येक सदस्य को बैठक के संचालन के दौरान बैठक की गरिमा का पालन करना होगा और विषय के प्रासंगिक विचारों पर उनकी चर्चा को सिमित रखना होगा। हालांकि, वे किसी बिन्दु को, जिसे वह आवश्यक समझता/समझती है, अध्यक्ष के निर्णय के लिए उठा सकता/सकती है।

11. सामान्यत: सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। हालांकि, अगर परिस्थिति अत्यधिक अनिर्णीत हो, तो अध्यक्ष मतदान के लिए संकल्प ले सकते हैं और निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। मतों की संख्या बराबर होनी की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

12. बैठक का कार्यवृत्त कुलसचिव द्वारा तैयार किया जाएगा, जो कुलपति के माध्यम से अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु उसे प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त को अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा। कार्यवृत्त को भेजेने के बाद 15 दिनों के अंदर अगर किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त होती है, तो उन टिप्पणियों की संस्तुति से पहले न्यायालय की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

13. न्यायालय में लिए गए निर्णयों को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जाए।

14. इन विनियमों के संशोधन करने, निरसन करने अथवा जोड़ने की शक्ति न्यायालय में निहित है।

15. ये विनियम न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई तिथि से प्रभावी होंगे।